भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 551

(दिनांक 25 जुलाई, 2023/3 श्रावण, 1945 (शक) को दिए जाने वाला उत्तर)

"हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) पर समान नागरिक संहिता का प्रभाव"

551. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में कितने हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) ने कर लाभ की मांग की है और कितने ऐसे परिवारों को कर लाभ प्रदान किया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में एचयूएफ को प्रदान किए जाने वाले कर लाभ पर समान नागरिक संहिता के प्रभाव का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) : पिछले पांच वर्षों के दौरान कर-लाभ (आयकर अधिनियम के अध्याय VIक के तहत कटौती के रूप में) लेने वाले हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	कर-लाभ प्राप्त करने वाले एचयूएफ
वि. वर्ष 2018-19	8,84,735
वि. वर्ष 2019-20	9,02,513
वि. वर्ष 2020-21	9,25,307
वि. वर्ष 2021-22	8,77,303
वि. वर्ष 2022-23	8,75,948

स्रोत : इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की गई विवरणियां।

(ख), (ग) और (घ) : ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि वर्तमान में ऐसी कोई संहिता नहीं है।

*****